[2018] 2 एस. सी. आर. 587

आईक्यू सिटी फाउंडेशन और ए. एन. आर.

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2017 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 502)

फरवरी 06,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, अमिता रॉय और

ए. एम. खानविलकर, जे. जे.]

चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956-एस। 10 - ए-याचिकाकर्ता-कॉलेज

शैक्षणिक वर्ष के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 150 छात्रों के प्रवेश के लिए अनुमति के नवीनीकरण की मांग की 2017-2018-पहले द्वारा अस्वीकार कर दिया गया

उत्तरदाता आदेश डी. टी. डी. 31.05.2017 - द्वारा दायर लिखित याचिका

याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश को रद्द करने और याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई अनुमति देने के लिए उक्त प्रतिवादी को निर्देश जारी करने के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पहले प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश तर्कपूर्ण नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ उसे याचिकाकर्ता को सुनवाई का और अवसर देने का निर्देश दिया और उसके बाद एक निर्णय लेने का निर्देश दिया-याचिकाकर्ता-संस्था ने एक अवसर प्रदान किया

सुनवाई-प्रथम प्रतिवादी ने सुनवाई समिति की टिप्पणियों पर विचार करते हुए अपने पहले के निर्णय को दोहराया। 31.05.2017 शैक्षणिक वर्ष के लिए एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति का नवीनीकरण नहीं करना

2017-18 - आयोजित किया गयाः सुनवाई समिति, हर पहलू के सत्यापन पर,

यह पाया गया कि संकाय सदस्यों की कमी 15.9 थी और रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी 25.88 थी और तदनुसार, इसने नवीनीकरण की सिफारिश नहीं की-प्रथम प्रतिवादी ने अपने बदले में कहा कि पाई गई कमी एमसीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी ऐसी स्थिति में, यह मानना मुश्किल है कि संस्थान को नवीनीकरण से इनकार करने वाले अधिकारियों की कार्रवाई में कोई विकृति थी-हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि नवीनीकरण के लिए अनुरोध वर्ष 2018-19 के लिए माना जाएगा और जो भी बैंक गारंटी दी गई है उसे निरीक्षण के लिए जमा के रूप में माना जाएगा।

और अगले वर्ष के लिए विचार, अर्थात 2018-19-शिक्षा

भारत का संविधान-Art.32।

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 याचिकाकर्ता-संस्था को सुनवाई समिति द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया था। द सेंट्रल

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार ने सुनवाई समिति की टिप्पणियों पर विचार करते हुए एक आदेश पारित किया। केंद्र का सक्षम प्राधिकारी

सरकार ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए आदेश को दोहराया था। रिमांड के बाद, याचिकाकर्ता-संस्था ने निश्चित रूप से दायर किया

सुनवाई समिति के समक्ष दस्तावेज। [पारस 9-11,13] [594 D-E; 595-F-H]

1.2 सुनवाई समिति, हर पहलू के सत्यापन पर,

यह पाया गया कि संकाय सदस्यों की कमी 15.9 थी और रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी 25.88 थी और तदनुसार, इसने नवीनीकरण की सिफारिश नहीं की। केंद्र सरकार ने अपने बदले में पाया कि एमसीआई द्वारा पाई गई कमी एमसीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह मानना मुश्किल है कि अधिकारियों की कार्रवाई में कोई विकृति थी

संस्थान के नवीनीकरण से इनकार करना। हालांकि केंद्र सरकार के निर्णय को मंजूरी दे दी गई है, फिर भी यह निर्देश दिया जाता है कि नवीनीकरण के लिए अनुरोध पर वर्ष 2018-19 के लिए विचार किया जाएगा और जो भी बैंक गारंटी दी गई है, उसे मान लिया जाएगा अगले वर्ष के लिए निरीक्षण और विचार के लिए जमा, यानी 2018-19। [पैरा 15] [596-ई-एच; 597-ए-बी]

मनोहर लाल शर्मा बनाम। भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य (2013) 10 एस. सी. सी. 60: [2013] 9 एससीआर 325; मेडिकल

भारतीय परिषद बनाम। कलिंग आयुर्विज्ञान संस्थान

विज्ञान (केआईएमएस) और अन्य (2016) 11 एससीसी 530: [2016] 4 एस. सी. आर. 403; रॉयल मेडिकल ट्रस्ट (पंजीकृत) और

एक अन्य वी। भारत संघ और दूसरा (2015) 10 एस. सी. सी.

19 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 9 एससीआर 325

पैरा 5

संदर्भित किया गया है

[2016] 4 एससीआर 403

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

(2015) 10 एससीसी 19

पैरा 5

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सिविल)

2017 का सं. 502।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। मुकुल रोहतगी, अजीत कुमार सिन्हा, विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कुणाल

वाजनी, निखिल रोहतगी, प्रणय गोयल, चिरंजीवी शर्मा, अभिरथ ठाकुर, विपिन कुमार, आर. के. राठौर, जी. एस. मक्कर, गौरव शर्मा, आई. क्यू. सिटी फाउंडेशन और ए. एन. आर।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

सुश्री अमनदीप कौर, प्रतीक भाटिया, धवल मोहन, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
दीपक मिश्रा, सीजेआई 1. वर्तमान रिट याचिका, के रूप में

परिस्थितियों में ऐसा होता, गवाह दूसरा फैसला देते हैं। सबसे पहले

सेंट

15 अगस्त, 2017 को हमारे द्वारा निपटाया गया था। उस समय, हमने इस आशय के तथ्यों पर ध्यान दिया था कि याचिकाकर्ताओं ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10-ए के तहत पारित दिनांकित आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया था।

सेंट

अधिनियम ") सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 1 प्रतिवादी द्वारा इसमें, और आगे याचिकाकर्ता-कॉलेज को 5 बैच (150 छात्र) एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की सुविधा के लिए शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 के लिए 4 नवीनीकरण की अनुमति देने के लिए उक्त प्रतिवादी को निर्देश जारी करें।

2. आवश्यक तथ्य जो पहले के फैसले में नोट किए गए हैं

भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने एक निरीक्षण किया था और पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 150 छात्रों के वार्षिक प्रवेश के साथ नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए 15.07.2013 पर अनुमति पत्र (एलओपी) प्रदान किया था। 04.07.2014,10.06.2015 और 15.12.2015 दिनांकित पत्रों के माध्यम से,

एन

2 (1 नवीकरण), 3 (2 नवीकरण) और 4 के लिए अनुमति का नवीनीकरण

(3 याचिकाकर्ता कॉलेज में एम. बी. बी. एस. छात्रों के नवीनीकरण) बैच क्रमशः शैक्षणिक वर्षों 2014-15,2015-16 और 2016-17 के लिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रदान किए गए थे। 06.07.2016 पर, याचिकाकर्ता-कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए 4 नवीनीकरण के लिए आवश्यक शुल्क के साथ अपनी योजना प्रस्तुत की, जो एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 150 छात्रों के 5 बैच के प्रवेश से संबंधित है। 09.07.2016 पर, 2 प्रत्यर्थी ने कॉलेज को सूचित किया कि शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए मूल्यांकन 15.07.2016 के बाद किसी भी समय उसके द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाएगा और याचिकाकर्ताओं को शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए मानक निरीक्षण फॉर्म ए, फॉर्म बी और घोषणा फॉर्म भरने और मूल्यांकन के समय उन्हें जांच के लिए तैयार रखने के लिए कहा गया था। उक्त प्रपत्रों की सॉफ्ट प्रतियां जमा करने का भी निर्देश था। जैसा कि कहा जाता है, याचिकाकर्ताओं ने विधिवत रूप से फॉर्म ए, फॉर्म बी और घोषणा पत्र की सॉफ्ट प्रतियों वाली एक कॉम्पैक्ट डिस्क प्रस्तुत की और आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति पर, 2 प्रतिवादी ने मूल्यांकनकर्ताओं की एक टीम का

गठन किया और उन्हें कॉलेज का मूल्यांकन निरीक्षण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण दल, कि [2018] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल्यांकनकर्ताओं ने 03.11.2016 और 04.11.2016 पर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। मूल्यांकनकर्ताओं ने महाविद्यालय की कुछ कमियों की ओर इशारा किया और दिनांकित मूल्यांकन रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया।

04.11.2016 . यह सामने रखा गया है कि नियमित निरीक्षण रिपोर्ट में, शिक्षण संकाय और रेजिडेंट डॉक्टरों में कमी क्रमशः केवल 4.5% और 3.50% थी जो निर्धारित सीमा के भीतर थी। दो अन्य कमियां जिन्हें इंगित किया गया था, जैसा कि दावा किया गया था, पूरी तरह से थीं

उपचार योग्य और कॉलेज द्वारा विधिवत सुधार किया गया था। 22.12.2016 पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 की कार्यकारी समिति ने मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार किया और प्रत्यर्थी संख्या 1 से कॉलेज को 4 के नवीनीकरण के लिए अनुमति का नवीनीकरण नहीं करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

सें

ट

शैक्षणिक वर्ष 2017-18। यह भी नोट किया गया कि 1 प्रत्यर्थी ने अपने दिनांकित 03.02.2017 पत्र द्वारा कॉलेज को प्रत्यर्थी संख्या 2 की दिनांकित 28.01.2017 की सिफारिश के बारे में सूचित किया।

शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए 4 नवीकरण के लिए कॉलेज को अनुमति को अस्वीकार करते हुए और कॉलेज से दस्तावेजी साक्ष्य के साथ एक विस्तृत बिंदु-वार अनुपालन प्रस्तुत करने का आह्वान किया। कॉलेज को सुनवाई समिति के समक्ष 09.02.2017 पर होने वाली सुनवाई के बारे में सूचित किया गया था। महाविद्यालय के प्रतिनिधियों की एक टीम निर्धारित तिथि पर सुनवाई समिति के समक्ष पेश हुई और टिप्पणियों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रत्यर्थी संख्या 2 के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया गया। मार्च, 2017 के दूसरे सप्ताह में याचिकाकर्ताओं को दिनांकित आदेश की एक प्रति प्राप्त हुई

सेंट

01.03.2017 अधिनियम की धारा 10-ए (4) के तहत प्रतिवादी संख्या 1 की सुनवाई समिति द्वारा पारित सिफारिशों/आदेश को दर्ज करते हुए 1 प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया। सुनवाई समिति की सिफारिश इस आशय की थी कि 2 प्रत्यर्थी द्वारा बताई गई कमियां ऐसी नहीं थीं जो उस स्तर पर अस्वीकृति का कारण बन सकें। सुनवाई समिति के उपरोक्त निष्कर्षों के बावजूद, 1 प्रत्यर्थी, अंतिम निर्णय लेने के बजाय, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ सुनवाई समिति की सिफारिशों/निष्कर्षों के आलोक में समीक्षा करने और अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए मामले को प्रत्यर्थी संख्या 2 को वापस भेज दिया।

न

.

3. इससे पहले के अवसर पर, यह दावा किया गया था कि 2 प्रतिवादी,

17.03.2017 पर, महाविद्यालय का अनुपालन सत्यापन मूल्यांकन करने के लिए एक दल का गठन किया गया। मूल्यांकनकर्ताओं की टीम ने अनुपालन सत्यापन करने के बजाय एक नियमित निरीक्षण किया

21.03.2017 यादृच्छिक तरीके से और एक अलग तरह का आई. क्यू. सिटी फाउंडेशन और ए. एन. आर. बनाने के लिए आगे बढ़े।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

सुनवाई समिति की टिप्पणियों/टिप्पणियों के अनुपालन की समीक्षा करने के उनके दायरे तक सीमित होने के बजाय मूल्यांकन। इस मोड़ पर, यह तर्क दिया गया कि हालांकि अनुपालन निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, फिर भी मूल्यांकनकर्ताओं ने कॉलेज से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी और तदनुसार, कॉलेज ने प्रतिवादी संख्या 2 को आवश्यक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ताओं के रुख के अनुसार, मूल्यांकनकर्ताओं ने अपने अनुपालन में कुछ कमियों को नोट किया सत्यापन। प्रत्यर्थी संख्या 2 की कार्यकारी समिति ने अपनी बैठक 28.04.2017 पर आयोजित की, लेकिन बैठक के कार्यवृत्त को 29.05.2017 तक प्रत्यर्थी संख्या 2 की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था और याचिकाकर्ताओं को सूचित नहीं किया गया था।

4. इससे पहले के अवसर पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता ने 20.5.2017 पर 1 प्रतिवादी से संपर्क किया था और एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था

कमियों के अनुपालन सत्यापन के संबंध में प्रतिनिधित्व

निर्धारकों द्वारा पाया गया जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इंगित किया गया है। इसके बावजूद

सेंट

उसी प्रकार, 1 प्रत्यर्थी ने, दिनांक 31.5.2017 के आदेश के माध्यम से, 2 प्रत्यर्थी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 के लिए 4 नवीनीकरण (एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 150 छात्रों के 5 बैच का प्रवेश) के लिए अनुमति की योजना को अस्वीकार कर दिया। यह आग्रह किया गया कि 31.5.2017 दिनांकित आदेश को 30.6.2017 पर कॉलेज को सूचित किया गया था। इसके अलावा, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एमसीआई का पूरा दृष्टिकोण अधिनियम और मेडिकल कॉलेज विनियमों की स्थापना, 1999 (संक्षेप में, 'विनियम') के विरोधाभासी था और आगे जब केंद्र सरकार ने कुछ पहलुओं पर फिर से विचार करने के लिए मामले को एमसीआई को वापस भेज दिया था, तो वह एक नए अनुपालन निरीक्षण के लिए आगे नहीं बढ़ सकती थी।

5. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों का विरोध किया गया था

एमसीआई। यह न्यायालय, मनोहर लाल शर्मा बनाम के निर्णयों का उल्लेख करते हुए। भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य 1, भारतीय चिकित्सा परिषद v. कलिंग आयुर्विज्ञान संस्थान (के. आई. एम. एस.) और अन्य 2 और रॉयल मेडिकल ट्रस्ट (पंजीकृत) और एक अन्य v. भारत संघ और अन्य 3 और उसके बाद अधिनियम और विनियमों की धारा 10-ए का उल्लेख करते हुए, इस प्रकार राय दीः

" 29. अधिनियम की धारा 10-ए को पढ़ने पर, नियम और विनियम, जैसा कि मनोहर लाल शर्मा में संदर्भित किया गया है।

1 (2013) 10 एससीसी 60

2 (2016) 11 एस. सी. सी. 530 3 3 (2015) 10 एस. सी. सी. 19 [2018] 2 एस. सी. आर.

(ऊपर), और रॉयल मेडिकल ट्रस्ट (ऊपर) में व्यक्त विचार, एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में निर्धारित करके एमसीआई की शक्ति को प्रतिबंधित करना अनुचित होगा कि एक बार जब केंद्र सरकार अनुपालन सत्यापन के लिए मामले को एमसीआई को वापस भेज देती है और मूल्यांकनकर्ता कॉलेज का दौरा करते हैं तो वे केवल उल्लिखित वस्तुओं का सत्यापन करेंगे और नेल्सन की नज़र डालेंगे, भले ही वे कुछ अन्य कमियों को समझते हों। यह प्लेइंग पॉसम होगा। अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के लिए केंद्र सरकार के निर्देश को सीमित रिमांड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जैसा कि नियमों के तहत समझा जाता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून का ढांचा। द.

खुले रिमांड और सीमित रिमांड के सिद्धांतों के बीच का अंतर, जो हम सोचने के लिए तैयार हैं, आकर्षित नहीं है। चाहे यह स्पष्ट रूप से कहा गया हो, उक्त सिद्धांत रॉयल मेडिकल ट्रस्ट (उपरोक्त) में प्राधिकरण से भी नहीं आता है। इस संदर्भ में, सुनवाई समिति की निष्पक्षता और केंद्र सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तविक अनुपालन करने वाले संस्थानों को करना चाहिए

हमेशा डेमोक्लिस की तलवार के नीचे नहीं रखा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका से स्थिरता लाई जा सकती है। और स्थिरता और वस्तुनिष्ठता बोधगम्य होगी यदि किसी दृष्टिकोण को व्यक्त करते समय कारणों का उल्लेख किया जाता है और कारणों की अनुपस्थिति निर्णय को संवेदनशील रूप से अतिसंवेदनशील बनाती है।

6. ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया आदेश तर्कसंगत नहीं है और इसमें

छोड़ दें, इस न्यायालय ने निर्देश दियाः

शैक्षिक और धर्मार्थ न्यास और अन्य v. भारत संघ और दूसरा और उसके बाद दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि निर्णय में कारण शामिल होंगे। हम दोहराते हैं कि निर्णय एक सूचित होना चाहिए।

7. विवाद की सराहना करने के लिए, हम रिमांड के आदेश से पहले पत्र 21.3.2017 दर्ज कर सकते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा एमसीआई को लिखे गए उक्त पत्र में कहा गया हैः

सिटी फाउंडेशन और ए. एन. आर. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

" उपरोक्त विषय के संबंध में मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके दयालु विचार के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद।

आरडी

टी.

1. कि 3 और 4 नवंबर को आयोजित पिछले एमसीआई निरीक्षण के दौरान

2016 हमारे संकाय और निवासियों की कमी 2.18 और 3.38 थी।

क्रमशः। हालांकि 21.03.2017 आकस्मिक निरीक्षण और देय पर

अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के कारण वे सुबह 11 बजे तक नहीं आ सके और मूल्यांकनकर्ताओं के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके।

उनकी परामर्श के लिए कोलकाता गए थे इसलिए वे सक्षम नहीं थे 21.03.2017 पर किए गए निरीक्षण में दिखाई देते हैं।

3. तीसरा, इनमें से अधिकांश संकाय और निवासी इसके साथ काम कर रहे हैं।

हम लंबे समय से और उसी के लिए दस्तावेजी प्रमाण की तरह

प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन परामर्श के कारण वे असमर्थ थे

इसे बनाने के लिए।

4. यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि हमारे संकाय और निवासी उपनगरीय क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों में भाग लेने गए थे क्योंकि

जैसे कि वे मूल्यांकनकर्ताओं के सामने पेश होने के लिए सुबह 11 बजे तक नहीं पहुंच सके।

इसलिए उनकी अनुपस्थिति को संकाय की भरपाई के लिए माना जा सकता है।

और निवासी की कमी "। 8. एक और पत्र 10.4.2017 पर जारी किया गया था। प्रासंगिक भाग

आई. डी. संचार इस प्रकार हैः

आरडी

टी.

" (3) कि हमारे 4 टी. एम. नवीनीकरण निरीक्षण के लिए 3 पर हमारा निरीक्षण किया गया था।

& 4 नवंबर 2016 और उसके बाद अनुपालन निरीक्षण किया गया था

सेंट

21 मार्च, 2017 को आयोजित किया गया।

आयोजित किया गया था, हमारी सुविधा और निवासियों में से कुछ प्रतिनियुक्ति पर थे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे नियमित चिकित्सा शिविरों में भाग लेने के लिए। में।

निरीक्षण के लिए इन सुविधाओं और निवासियों को बुलाया गया था

अस्पताल और कॉलेज में वापस लेकिन जब तक वे पहुंचे

उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करने का समय समाप्त हो गया था अर्थात सुबह 11 बजे। वे.

उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया था और नहीं थे

सिर की गिनती के दौरान माना जाता है जो कमी का कारण बनता है

संकाय और निवासी-क्रमशः 15.99% और 25.88%, यहां तक कि

हालाँकि दोनों श्रेणियों के लिए हमारी कमी 5 प्रतिशत से कम थी

3 और 4 नवंबर 2016 को आयोजित निरीक्षण।

न.

(5) कि 22 मार्च 2017 को हमने अपने कुछ चिकित्सा शिविरों की तस्वीरों के साथ एक अभ्यावेदन पत्र भी भेजा जो पत्र संख्या आई. क्यू. एम. सी./2016-17/09 दिनांक 21/03/2017 के माध्यम से चल रहे थे।

तस्वीरें एक बार फिर संलग्न हैं।

(6) कि हम एक स्थापित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं, जिसमें हजारों से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनके पास सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे, संकायों और निवासियों और नैदानिक सामग्री के अनुसार काम कर रहे हैं।

परिषद के मानदंड "।

फिर सेः

" इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि निरीक्षण के दिन हमारे संकाय और निवासियों की कमी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और हमें 150 छात्रों के 5 बैच को प्रवेश देने और चिकित्सा शिक्षा में अपनी सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी जाए।

स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ "।

9. जैसा कि तथ्यों से पता चलता है, याचिकाकर्ता-संस्था को सुनवाई समिति द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था, जिसने इसके बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकालेः

" 1. दस्तावेजों की विस्तृत जांच करने पर, की कमी

2. निवासियों की कमी 25.88% है (अधिकतम स्वीकार्य 5% है)। 3. एमसीआई की बैठक के कार्यवृत्त में यह दर्ज किया गया है कि निर्धारक ने केवल तीन विभागों, अर्थात् टीबी और श्वसन, ईएनटी और मनोचिकित्सा विभाग में ओ. पी. डी. की यादृच्छिक जांच का सहारा लिया और सभी विभागों में पंजीकृत रोगियों की कुल संख्या को गिने बिना एक आंकड़े पर पहुंचे हैं, जो अनुचित और गलत लगता है।

छात्रावास (सत्यापित किया जाना है)। 5. एनाटॉमी विभाग के पास निरीक्षण की तारीख पर घुड़सवार/बिना घुड़सवार नमूनों की आवश्यक संख्या थी और इसे अनुपालन के रूप में माना जा रहा है।

आईक्यू सिटी फाउंडेशन और ए. एन. आर. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

निष्कर्षः मूल्यांकनकर्ता द्वारा पाए गए संकाय की कमी थी

15.9 % और कॉलेज द्वारा स्वीकार किया गया। इस कमी के लिए कॉलेज द्वारा दिए गए कारण स्वीकार्य छुट्टी के एमसीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। निवासियों की भी कमी है।

25.88% था। इसलिए नवीनीकरण की सिफारिश नहीं की जाती है।

10. केंद्र सरकार ने सुनवाई समिति की टिप्पणियों पर विचार करते हुए एक आदेश पारित किया जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 10. अब, इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में, मंत्रालय ने 22.08.2017 पर कॉलेज को सुनवाई की अनुमति दी। नवगठित निरीक्षण समिति के एक सदस्य ने भी सुनवाई समिति की बैठक में भाग लिया। सुनवाई समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी निम्नलिखित निष्कर्षः

मूल्यांकनकर्ता द्वारा संकाय की कमी 15.9% थी और कॉलेज द्वारा स्वीकार की गई थी। इस कमी के लिए कॉलेज द्वारा दिए गए कारण स्वीकार्य छुट्टी के एमसीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। इसके अलावा कमी 25.88% थी। इसलिए,

नवीनीकरण की सिफारिश नहीं की जाती है।

सुनवाई समिति की रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें उनके

अवलोकन संलग्न हैं।

11. सुनवाई समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय आई. क्यू. सिटी मेडिकल में एम. बी. बी. एस. छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति का नवीनीकरण नहीं करने के अपने पहले के निर्णय को दोहराता है।

शैक्षणिक वर्ष के लिए कॉलेज, बर्दवान 2017-18 "।

11. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए आदेश को दोहराया था।

12. हमने याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी और श्री पी. एस. पटवालिया और श्री अजीत कुमार सिन्हा को सुना है।

सेंट

1 प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, और श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ श्री गौरव शर्मा, 2 प्रतिवादी, एमसीआई के लिए विद्वान वकील।

13. हम यहाँ लाभ के साथ नोट कर सकते हैं कि रिमांड के बाद, याचिकाकर्ता-संस्था ने सुनवाई से पहले कुछ दस्तावेज दायर किए।

22.8.2017 पर समिति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. याचिकाकर्ता-संस्थान ने शिक्षण की वेतन पर्ची भी दाखिल की

वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों और जूनियर रेजिडेंट के संकाय और वेतन पर्ची

सुनवाई समिति के समक्ष डॉक्टर। उक्त दस्तावेजों को भी रिकॉर्ड में लाया गया है। याचिकाकर्ता-संस्था द्वारा सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांकित 22.8.2017 पत्र का पैराग्राफ 14 इस प्रकार हैः

डॉ. के नेतृत्व में 7 अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरों की एक टीम ने डॉ. "स्माइल" के पार्थ साधु और डॉ. क्लास एरिक कास्परसन और

" आई. एन. जी. ए.-इंटरनेशनल फाउंडेशन "जो एक प्रमुख कार्य कर रहे हैं

हमारे मेडिकल में फटे होंठ/फटे तालु की सुधारात्मक सर्जरी के लिए शिविर

टी.

टी.

महाविद्यालय और अस्पताल 16 से 1 अगस्त, 2017 से 24 से 1 अगस्त, 2017 तक

"ऑपरेशन स्माइल" नामक नाम और शैली के तहत। कुल

क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पेलेट के लिए 87 सुधारात्मक शल्य चिकित्साएँ की गई हैं। उक्त अवधि के दौरान हमारे अस्पताल में पहले से ही प्रदर्शन किया जा चुका है

अवधि। ऑपरेशन स्माइल एंड आई. एन. जी. ए. इंटरनेशनल फाउंडेशन

आज तक 100 से अधिक ऐसे शिविर आयोजित किए हैं और प्रदर्शन किया है

29, 000 से अधिक सर्जरी, अखिल भारतीय स्तर पर। कहा "मुस्कुराइए" और

" आई. एन. जी. ए.-इंटरनेशनल फाउंडेशन "ने एक पत्र जारी किया है

हमारे कॉलेज और अस्पताल की सराहना करते हुए कहा कि यह दुर्लभ है इस तरह के उत्कृष्ट "अत्याधुनिक" चिकित्सा और

बुनियादी सुविधाएं "।

15. इसके अलावा, ओ. पी. डी. रोगियों का विवरण 15.3.2017 से लेकर

29.3.2017 सुनवाई समिति के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष भी दायर किए गए हैं। जिस शिकायत को लेकर काफी हंगामा हुआ है, वह यह है कि यदि सुनवाई समिति ने दस्तावेजों की जांच की होती और

उचित परिप्रेक्ष्य में संस्थान के रुख की सराहना की होती, तो सुनवाई समिति की राय काफी अलग होती और इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार का दृष्टिकोण संस्थान के पक्ष में सकारात्मक तरीके से निर्देशित होता। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण, पहली बार में, काफी आकर्षक लगता है, लेकिन, एक उत्सुक जांच पर, पूरी तरह से महत्वहीन हो जाता है। हम ऐसा सोचने के लिए तैयार हैं क्योंकि सुनवाई समिति ने हर पहलू के सत्यापन पर पाया कि संकाय सदस्यों की कमी 15.9 थी और रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी 25.88 थी और तदनुसार, उसने नवीनीकरण के लिए सिफारिश नहीं की। केंद्र सरकार ने अपने बदले में पाया कि एमसीआई द्वारा पाई गई कमी एमसीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। ऐसी स्थिति में, यह मानना मुश्किल है कि आई. क्यू. सिटी फाउंडेशन और ए. एन. आर. की कार्रवाई में कोई विकृति आई है।

वी. भारत संघ और [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

अधिकारी संस्था के नवीनीकरण से इनकार कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास केंद्र सरकार के फैसले की मंजूरी की मुहर है यह निर्देश देने के लिए इच्छुक हैं कि नवीनीकरण के लिए प्रार्थना वर्ष 2018-19 को ध्यान में रखा जाएगा और जो भी बैंक गारंटी दी गई है, उसे निरीक्षण के लिए जमा के रूप में माना जाएगा और टी के लिए विचार किया जाएगा।

वर्ष, अर्थात, 2018-19। चाहे यह स्पष्ट रूप से कहा गया हो, हमारी राय वर्ष 2017-18 के लिए नवीनीकरण की गैर-मंजूरी को प्रतिबंधित करती है और 2018 के लिए प्रार्थना के विचार के संबंध में एक व्यक्त राय नहीं है।

16. रिट याचिका का तदनुसार बिना किसी आदेश के निपटारा किया जाता है।

लागतों के बारे में।

दिव्या पांडे

लिखित

याचिका